न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-385RAAJodhpur2024-146RTA223 Champalal ors Vs Bhawararam etc

01. चम्पालाल पुत्र गेनाराम
02. सांगाराम पुत्र गेनाराम
03. बुधाराम पुत्र गेनाराम
04. घेवरराम पुत्र गेनाराम
05. भागीरथ पुत्र गेनाराम
06. श्रीमती केशी पत्नी आसुराम

सभी जातियान नाई. निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील सेखाला, वर्तमान तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भक्तराम पुत्र रामूराम के कायम मुकाम :–
   1.1. भोमराज पुत्र भंवरलाल
   1.2. जयकुमार पुत्र भंवरलाल
   जातियान् नाई निवासी 38 सी, द्वितीय पोलो, करणी माता मंदिर के पीछे चारण हॉस्टल के पास, जोधपुर।
   1.3. श्रीमती अनिता पुत्री भंवरलाल पत्नी सुन्दरलाल जाति नाई, निवासी पावटा सी रोड गली नम्बर 1 जोधपुर।
   1.4. उषा पुत्री भंवरलाल पत्नी नेमीचन्द जाति नाई निवासी 15, तीसरी रोड़ पावटा, गली नम्बर 3, जोधपुर।
2. श्रीमती चन्द्रा पत्नी अर्जुन सिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या/जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00379 चम्पालाल व अन्य बनाम भंवराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जगदीशसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 2

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 2019/00379 अनवान चम्पालाल व अन्य बनाम भंवराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 620 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 576 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2008 को अपीलाण्ट्स का वाद खारीज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील स्वीकार की जाकर मामला पुनः प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–08–2024 के जरिये वाद को पुनः खारीज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेण्ट सिमरथाराम के नाम दर्ज हुई थी। सिमरथाराम के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी उनके पुत्र गेनाराम के नाम से दर्ज हुई, लेकिन म्यूटेशन संख्या 149 भरते वक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 01 भंवराराम का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। इस हेतु अपीलांट्स की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक दिनांक 30–12–2008 के जरिये विचारण न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित कर उभय पक्ष सें साक्ष्य सबूत लेकर विधिसम्मत निर्णय करने का निर्देश दिये गये थे, लेकिन अधीनरथ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना किये विना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति बताकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की गई है। अगर अपीलाण्ट्स का अधिवक्ता उपस्थित नहीं है तो वाद उसकी अनुपस्थिति में खारीज किया जा सकता है, किंतु वाद का गुणावगुण पर विना साक्ष्य सबूत के निर्णय नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी०पी०सी० का पेश किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की जाकर अन्तिम निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में जब नये तनकीयात नही बनाये गये एवं न ही कोई साक्ष्य सबूत लिया गया तो फिर भी तनकीवार निर्णय करने में विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। हस्तगत मामले में प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार के साक्ष्य पेश नंहीं किये गये, फिर भी उनके पक्ष में तनकीयात निर्णित की गई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलांट्स ग्यारह से अधिक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर चाराजोही नही की गई। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट्स की ओर से रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा के संबंध में सिविल न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय तक उक्त रजिस्ट्री की वैधता की पुष्टि की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर मामले में तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्गत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मूल वाद की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2019 को पुनः संस्थित की जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण न्यायालय कार्य बंद रहने से वाद में दिनांक 07 फरवरी 2022 तक विशेष कार्यवाही नहीं होना पाया जाता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2022 तक वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर उनकी साक्ष्य बंद किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की साक्ष्य बंद किये जाने के पश्चात वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण से साक्ष्य लिये बिना पत्रावली को सीधे ही बहस में मुकर्रर किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से दिनांक 16.01.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात की मौका स्थिति तलब किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन होने का आधार मानते हुए सरसरी तौर पर खारिज किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 31 दिसंबर 2008 की निर्णय प्रति एवं माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2018 की निर्णय प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा उक्त निर्णय के जरिये मामला विचारण न्यायालय को पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार अपना निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधिक प्रावधानों के तहत वाद के निस्तारण के निर्देश दिये गये है। रेस्पोडेंट की ओर से अदालत हाजा के उक्त निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल में चुनौती दी गई, किंतु उनकी ओर से अपील आगे नही चलायी जाकर जरिये विड्रो खारिज करवाया जाना पाया जाता है। इससे साबित है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अदालत हाजा के निर्णय में अपनी स्वीकारोंक्ति प्रदान की गई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देशों एवं वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 2019/00379 अनवान चम्पालाल व अन्य बनाम भंवरराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2024 किये जाकर मामला अपीलांट्स को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर